कार्यालय:जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड (म.प्र.)

(आवेदन शुल्क 10/- Rs.)

ऋण आवेदन पत्र

आवेदन शुल्क रसीद क्रमांक____________________दिनांक ____________

सदस्यता क्रमांक ____________________दिनांक____________

प्रमाणित फोटो

प्रति,

श्रीमान् कार्यपालन अधिकारी
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भिण्ड (म.प्र.)

1. नाम आवेदक ____________________
2. पिता/पति का नाम ____________________
3. जाति ____________________
4. आयु____________ शैक्षणिक योग्यता ____________________
5. निवास स्थान ____________________
   ____________पोस्ट____________तहसील____________जिला भिण्ड (म.प्र.)
6. वार्षिक आय ____________________
7. जिस व्यवसाय हेतु ऋण चाहता है, व्यवसाय का नाम ____________राशि____________
8. परिवार के सदस्यों की जानकारी____________________

सं.क्र.	नाम	संबंध	उम्र	व्यवसाय	वार्षिक आय
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

मैं शपथ पूर्वक वचन देता/देती हूँ कि मेरी आयु______वर्ष है, मैं यहाँ का/की स्थायी निवासी हूँ तथा मैने किसी भी बैंक से कोई ऋण नहीं लिया एवं मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। जानकारी असत्य पायी जाने पर न्यायालयीन कार्यवाही का भागीदार रहूंगा/रहूंगी। अतः मुझे ऋण दिलाने की कृपा करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन जाँचकर्ता की टीप –

आदेवक/आवेदिका अनुसूचित जाति का/की होकर वर्तमान में ____________व्यवसाय कर रहा/रही है। इन्हें ____________________व्यवसाय हेतु कुल रूपये ____________स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

क्षेत्राधिकारी
अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मार्यादित
जिला भिण्ड (म.प्र.)

अग्रेषण अनुशंसा रिपोर्ट :–

1. बैंक का नाम जिसे आवेदन पत्र भेजा जा रहा है ____________________
2. कृपया आवेदक को____________________व्यवसाय/उद्योग बावत्
   ऋण राशि रूपये ____________अक्षरों में____________________अनुसंशा की जाती है।
3. विभाग द्वारा दी जाने वाले अनुदान का विवरण अनुदान राशि 10000/– रूपये मात्र की अनुशंसा की जाती है।

कार्यपालन अधिकारी

(नोट- उक्त आवेदन 2 प्रति में संलग्न करना होगा)

कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड (म.प्र)

समिति का सदस्य बनने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रति,

कार्यपालन अधिकारी

अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

जिला भिण्ड (म.प्र.)

महोदय,

मैं————————————————आत्मज / पति श्री————————————————
जति————————————————निवासी————————————————
पोस्ट——————विकास खण्ड——————————तहसील——————जिला भिण्ड (म.प्र.) का हूँ।
मेरे परिवार में कुल——————————सदस्य हैं, मैं वर्तमान में——————————————व्यवसाय करता हूँ, जिसमें गत वर्ष मरी आमदनी रूपये————————————————————थी।
मैं कक्षा——————————तक पढ़ा हूँ। मैं ——————————————————व्यवसाय करने के लिये ——————————————बैंक से रूपये ——————————————कर्ज लेना चाहता हूँ। जिसके लिये मैं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति का सदस्य बनाना चाहता हूं वर्तमान में मेरी कुल अचल सम्पत्ति की कीमत रूपये ——————————————————————से अधिक नहीं है। अतः कृपया मुझे समिति का सदस्य बनाकर बैंक से कर्ज दिलवाने का कष्ट करें, इस हेतु मैं राशि 10/— रूपये तथा 50 पैसे प्रवेश शुल्क जमा कर रहा हूँ समिति के समस्त नियम मुझे मान्य हैं।

प्रमाण पत्र संलग्न करें —

1. आय प्रमाण पत्र।
2. जाति प्रमाण पत्र।
3. निवासी प्रमाण पत्र।
4. राशनकार्ड।
5. शपथ पत्र।
6. परिचय पत्र की प्रति

आवेदक के हस्ताक्षर या अँगूठा निशान
यदि अँगूठा निशानी हो तो उसकी तस्दीक

प्रमाण पत्र

मैं————————————————पिता / पति श्री————————————————
जाति ——————————उम्र——————सर्वे क्रमांक ——————वार्ड क्रमांक——————
पोस्ट——————————तहसील——————————जिला भिण्ड (म.प्र.) का मूल निवासी हूँ जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है, इसकी जाति——————————है। मैं इन्हें विगत वर्षो से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

सरपंच/C.M.O.

कार्यालय : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड (म.प्र.)

अनुदान प्राप्ती हेतु

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनाँक ————————को म.प्र. शासन की ओर से मध्यप्रदेश अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम के अधीन कार्यरत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित————————————के माध्यम से जो म.प्र. शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित है व म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियिम 1960 के अन्तर्गत एक पंजीयन संस्था है तथा जो आगे ऋण/अनुदान दाता कहलायेगी और जिसकी अभिव्यक्ति में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने इनके प्रदानवर्ती सम्मिलित होंगे।

1. और द्वितीय पक्ष/श्री/श्रीमती/कुमारी————————————————————————
   पुत्र/पुत्री/पति श्री ————————————————————————निवासी ग्राम————————————
   तहसील————————————————जिला————————————मध्यप्रदेश जो इनकी आगे हितग्राही अथवा ऋण/अनुदान ग्रहीता कहलायेंगे जिसकी अभिव्यक्ति प्रसंग या विषय के विपरीत न होने पर उसके उत्तराधिकारी निष्पादक प्रशास निप्रतिनिधि स्वत्याकर्षण किया जायेगा।
2. ऋण/अनुदान रूपये————————————हितग्राही को जिला समिति के आदेश क्रमांक————————————
   दिनाँक ————————————————द्वारा स्वीकृत किया गया है।
3. ऋण/ अनुदान म.प्र. शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग के अधीन म.प्र. अंत्यवसायी सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार राष्ट्रीय योजना 1992 के अन्तर्गत हितग्राही की स्वीकृति स्थान————————————————————————————————————
   पर स्वीकृति स्वरोजगार————————————————————————————चलाने के लिये उपयोग किया जावेगा।
4. अतएव अब यह अनुबंध इस बात का साक्ष्य है, जो एतद् द्वारा निम्नलिखित चार रूप से अनुबन्धित किया जाता है–
   1. हितग्राही ऋण/अनुदान गृहिता जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति————————————से उनके द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान रूपये————————————————प्राप्त करेगा और उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिये करेगा जिसके लिये ऋण स्वीकृत किया गया है।
   2. हितग्राही ऋण/अनुदान राशि स्वीकृत एवं वितरण की तिथि से 2 माह के भीतर अपना–अपना उद्यम प्रारम्भ कर देगा। यदि हितग्राही दो माह में उद्योग प्रारम्भ नहीं कर पाया तो उसे सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष या उसकी ————————————————————कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से अनुमति प्रदान करनी होगी ऐसा न करने पर यह माना जायेगा कि वह उद्यम————————————है। ऐसी स्थिति में उसे ऋण एवं अनुदान राशि ब्याज सहित एक मुश्त लौटाना होगा।
   3. उद्यम प्रारंभ करने के उपरान्त ऋण राशि ब्याज सहित लौटाने तक हितग्राही को निरन्तर रखना आवश्यक होगा

4. समय–समय पर आवश्कतानुसार सक्षम अधिकारी कलेक्टर एवं उसके प्रतिनिधि उद्यम की देखरेख मार्गदर्शन जांच व निरीक्षण इत्यादि कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान हितग्राही उन्हें आवश्यक पूंजी का लेखा बही खाता व कागजात उपलब्ध करायेगा एवं निरीक्षण अधिकारी के अनुसार उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायेगा।

5. हितग्राही द्वारा अनुदान एवं ऋण राशि प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के तथ्य यदि असत्य पाये जाते हैं तो उसे ब्याज सहित ऋण एवं अनुदान की सभी राशि एक मुश्त लौटाना होगी।

यदि हितग्राही समय पर ऋण की किस्तें जमा नहीं करता तो उससे शेा सभी राशि ब्याज सहित (म.प्र. शोध्य राशियों की बसूसी विधेयक) के अनुसार बसूल की जावेगी।

मैं————————————————— हितग्राही ऋण/ अनुदान ग्रहित इस अनुबन्ध पत्र में दर्शाई गई सभी शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। इस अनुबन्ध पत्र का निष्पादन निम्नालिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिया गया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पर इसके अनुसार बैधानिक कार्यवाही की जा सके।

साक्षी –

1. हस्ताक्षर ——————————

नाम एवं पता ——————————

——————————————

हस्ताक्षर

हितग्राही/ऋण/अनुदान ग्रहिता

हस्ताक्षर ——————————

नाम एवं पता ——————————

——————————————

कार्यपालन अधिकारी

अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

जिला भिण्ड (म.प्र.)

अनुसूचित जाति हेतु स्टाम्प शुल्क मुक्त

नं.781-2026 आर. 75 दिनाँक 2.11.1976

शपथ पत्र

समक्ष--

शपथकर्ता --

नाम--जाति ----------------------

पिता/पति का नाम--जाति--------------------

निवासी--------------------------पोस्ट--------------तहसील------------------जिला भिण्ड (म.प्र.)

निम्नानुसार कथन करता हूँ कि–

1. यह कि मैं ग्राम---------------------------------वार्ड-----------विकासखण्ड------------------ तहसील-----------------------जिला भिण्ड (म.प्र.) का निवासी हूँ।
2. यह कि मेरे पास ग्राम------------------------------विकासखण्ड--------------प.ह.न. ------------- तहसील -------------जिला भिण्ड (म.प्र.) में -------------हैक्टेयर भूमि--------है/कोई भूमि नहीं है इसके अतिरिक्त और कहीं भूमि नहीं है।
3. यह कि मेरी जाति -------------------है जो शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है।
4. यह कि मेरी तथा मेरे परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय -------------------------------- शब्दों में --है।
5. यह कि मैंने तथा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक किसी भी शासकीय योजना के तहत ऋण अनुदान प्राप्त नहीं किया है, और न ही मुझे किसी बैंक संस्था या किसी निकाय का कर्ज बकाया है।
6. यह कि मैं प्रथम बार जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से ऋण अनुदान प्राप्त कर रहा हूँ। जिले के अंत्यावसायी समिति एवं बैंक के समस्त नियमों एवं आदेशों का पालन कर निश्चित अवधि में जमा करूँगा।
7. यह कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति को अधिकार होगा कि ऋण राशि अनुदान आदि समस्त राशियों को मेरी चल व अचल सम्पत्ति से भू- राजस्व के प्रकरणों की भांति बसूल कर सकती है इससे मुझे व मेरे वारिस को कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथ पूवर्क कथन करता हूँ/ करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका एक से लेकर सात तक दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि का दायित्व मेरा होगा एवं इस शपथ पत्र को मैने पढ़कर, सुनकर एवं समझकर ही हस्ताक्षर किये हैं।

1. ----------------------------

शपथकर्ता